न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 40/2015 (2015/00127)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पोकरराम पुत्र स्व. प्रभूराम, जाति मेघवाल, निवासी धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.धापूदेवी पत्नी श्री मोहनराम के कायम मुकाम :– 1/1 श्रीमती रूकमादेवी पुत्री मोहनराम पत्नी घेवरराम 2.आईदान पुत्र मोहनराम 3.देवाराम पुत्र मोहनराम 4.शिवाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकामान् 4/1 रामाराम पुत्र स्व. शिवाराम 4/2 जीवाराम पुत्र स्व. शिवाराम 4/3 बीजाराम पुत्र स्व. शिवाराम 4/4 जगाराम पुत्र स्व. शिवाराम सभी जातियान् मेघवाल निवासी :– मेघवालो का बास, धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर। 5.मिसाराम पुत्र प्रभुराम के कायम मुकामान् 5/1 जेठाराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/2 पारसराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/3 किशनाराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/4 विरमाराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/5 बाबूराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/6 पेपाराम पुत्र स्व. मिशाराम 5/7 श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. मिशाराम सभी जातियान मेघवाल, निवासीगण मेघवालो का बास, ग्राम धवा, तहसील झंवर जिला जोधपुर। 6.छोगाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7.तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थी की ओर से :– श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर से :– श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता

दिनांक :– 12-5-2016

– : : निर्णय : : –

1. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत 83, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार के रूप मे कब्जा काश्त वक्त जागीरी से चला आ रहा है जिसमे पूर्व मे कुछ भूमि मे सभी हिस्सेदारो के नाम अंकन नही किये जा सके जबकि वक्त सैटलमेंट के समय से प्रार्थी के पूर्वजो के समय से उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त जायदाद है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 7 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 514 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं. 1197 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा ग्राम धवा तहसील लूणी वर्तमान तहसील झंवर जिला जोधपुर मे आयी हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता अचलिया उर्फ अचलाराम व प्रभुडा उर्फ प्रभुराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे बहैसियत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

खातेदार दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नं. 1997 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मिसराराम की संयुक्त काश्त की चली आ रही है। आगे यह अभिवचन किया गया कि इन खसरान मे से खसरा नं. 1197 वादी के पूर्वजो के नाम से रेवेन्यू रेकर्ड मे इन्द्राज किये गये थे तथा आपसी सहमति अनुसार खसरा नं. 7 व 514 की भूमि अचलाराम के नाम रखी गयी तत्पश्चात् बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन किये गये जिससे अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है जिसमे वादी अपने हक हिस्से अनुसार माप व सीमांकन करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण ने जून 2015 मे धमकी दी तथा भूमियों का अन्तरण करने पर आमादा होने के कारण वादी द्वारा वाद एवं अस्थाी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

2. कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रार्थी जिन वादग्रस्त भूमियों को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की भूमियां बता रहा है वह वास्तव मे अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज अचलाराम जी के खातेदारी की भूमियां रही जिस पर वक्त सैटलमेंट के पूर्व एवं पश्चात् अचलाराम जी ही काबिज थे एवं जिसकी खतौनी पट्टा ठिकाना संवत् 2009 का अचलिया वल्द हणुता के नाम से पट्टा सं. सात जारी किया हुआ है एवं उनके देहान्त के पश्चात् अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 उक्त भूमि पर काबिज है। प्रार्थी एवं अपर्थी सं. 5 व 6 के पूर्वज प्रभुराम का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा एवं ना ही वक्त सैटलमेंट से लेकर आज दिनांक तक उक्त भूमियां कभी भी प्रभुराम के नाम अथवा प्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज रही। खसरा नं. 1197 की भूमि मे से अप्रार्थी सं. 5 मिसराराम पुत्र प्रभुराम द्वारा भूमि को अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 से जरिये विक्रय विलेख के क्रय किया गया है इस प्रकार वह खरीददार की हैसियत से खातेदार है। प्रार्थी ने जानबूझ कर अपनी बहनो को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी कभी भी इन भूमियो पर काबिज नही रहा एवं इन पर वक्त सैटलमेंट से अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 का ही कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. हमने बहस उभय पक्षकारान् सुनी। बहस मे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कहा गया कि उक्त वादग्रस्त भूमियां प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के खातेदारी की भूमियां थी जिसमे से खसरा नं. 1197 प्रार्थी के पूर्वज के नाम खातेदारी मे रखी गयी जबकि खसरा नं. 514 तथा 7 को अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम रखा गया किन्तु बाद मे खसरा नं. 1197 मे भी अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम भूमि दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमियो का बैचान हस्तान्तरण नही करे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कहा गया कि वादग्रस्त भूमियां वक्त सैटलमेंट से हीं अप्रार्थीगण के पूर्वज अचलाराम के नाम खातेदारी मे चली आ रही है जिसके नाम से पट्टा भी संवत् 2009 मे जारी किया हुआ है तथा उसके बाद से लगातार उक्त भूमिया अचलाराम जी तथा उनके देहान्त के बाद अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के खातेदारी मे दर्ज है एवं वे ही इन भूमियो पर काबिज काश्त है जिस पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। आगे यह भी कहा गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रभुराम व अचलाराम के संयुक्त खातेदारी की भूमियां 856, 881 तथा 882 की है जिसके विभाजन हेतु प्रार्थी द्वारा पूर्व मे कार्यवाही की गई थी। इसी तरह प्रार्थी के पूर्वज प्रभुराम के एकल खातेदारी की भूमि खसरा नं. 51 आयी हुई है जिस पर प्रभुराम के वारिस बहैसियत खातेदार काबिज है। इस प्रकार अचलाराम तथा प्रभुराम की एकल खातेदारी की भूमियां अलग थी तथा संयुक्त खातेदारी की भूमियां अलग थी किन्तु प्रार्थी की नियत मे खोट आ जाने के कारण अचलाराम जी के एकल खातेदारी की भूमियों को हडपने की नियत से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

किया गया है। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही हुआ है एवं उसके द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाया गया है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे।

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मे तीन बिन्दु तय करने होते है :–

4. **प्रथम दृष्टया मामला** :– इस संबंध मे प्रार्थी का यह कहना है कि वादग्रस्त भूमियां खसरा नं. 7, 514 तथा 1197 प्रार्थी के पूर्वज प्रभुराम तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पूर्वज अचलाराम के खातेदारी की भूमिया थी जिनमे से खसरा नं. 1197 आपसी सहमति से प्रार्थी के पूर्वज प्रभुराम के नाम रखा गया जबकि खसरा नं. 7 व 514 अचलाराम जी के नाम दर्ज किया गया जिसे बाद मे अप्रार्थीगण द्वारा बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन किये गये जबकि यह प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि है। इस संबंध मे प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमियों का पट्टा संवत् 2009 मे सर्वप्रथम अचलिया पुत्र हणुता के नाम से जारी किया गया था एवं खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 मे भी वादग्रस्त खसरान् मे अचलीया वल्द हणुता का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज है जबकि इसके नीचे ही अचला व परबु पी. हणुता के नाम से खसरा नं. 856, 881 तथा 882 की भूमियां संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है एवं यह इन्द्राजात् ही आगे की समस्त राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रहा। अचलाराम जी के देहान्त के बाद अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 का नाम दर्ज किया गया जबकि परबूराम के देहान्त के पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 का नाम दर्ज किया गया। वही खसरा नं. 51 की मिसल बन्दोबस्त मे परबू का अकेला का नाम दर्ज है जिसमे अचलाराम का नाम दर्ज नही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त भूमियां वक्त सैटलमेंट से अचलाराम के नाम दर्ज रही एवं उसके पश्चात् उनके वारिसान् मे दर्ज हुई जिसमे से खसरा नं 1197 मे से कुछ भूमि अप्रार्थी मिसराराम के द्वारा खरीद की गई जिस कारण उसका नाम खातेदारी मे दर्ज हुआ। इस संबंध मे दस्तावेज मे एक खसरा बन्दोबस्त खसरा नं. 1197 के बाबत् संवत् 2007 की प्रस्तुत है जिसमे अचलीया परबुडा पीसरान हणुता लिखा हुआ है किन्तु उसके बाद संवत् 2009 के पट्टे मे तथा 2009 से 2030 की खतौनी बन्दोबस्त मे उक्त भूमि अन्य भूमियो के साथ मात्र अचलीया के नाम दर्ज है जबकि अचलीया तथा परबू के संयुक्त खातेदारी की अन्य भूमियां दर्ज है तथा परबू के नाम की एकल खातेदारी की अन्य भूमि दर्ज है। जिससे यह प्रथम दृष्टया यही सिद्ध होता है कि वक्त सैटलमेंट अचलीया तथा परबू अपनी जिस जिस पर भूमि पर काबिज काश्त थे उसी अनुसार उनके नाम भूमियों का पट्टा तथा मिसल बन्दोबस्त जारी की गई। अगर वादग्रस्त भमियां दोनो की संयुक्त कब्जे काश्त की होती तो उक्त भूमियो की खातेदारी दोनो की संयुक्त रूप से दर्ज होती। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त राजस्व रेकर्ड का प्रार्थी के पिता प्रभुराम द्वारा स्वयं अपने जीवनकाल मे किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही किया गया एवं वक्त सैटलमेंट से अब 60 वर्ष पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त इन्द्राजात को लेकर दावा किया गया है जिसका स्वयं उसके भाई अर्थात प्रभुराम के अन्य वारिस अप्रार्थी सं. 5 व 6 विरोध कर रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रभुराम व अचलाराम के संयुक्त खातेदारी की भूमियों तथा प्रभुराम के स्वयं के एकल खातेदारी की भूमि के महत्वपूर्ण तथ्यो को भी छुपाया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया ऐसा कोई दस्तावेज अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है जिससे वादग्रस्त भूमियो पर प्रार्थी का कब्जा सिद्ध होता हो जबकि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नाम उक्त भूमियां बरवक्त सैटलमेंट से आज दिनांक तक खातेदारी मे दर्ज है एवं अप्रार्थी सं. 5 द्वारा इनमे से भूमि खरीद की हुई हे जिस कारण विधिनुसार वादग्रस्त भूमियों पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 तथा अप्रार्थी सं. 5 के कब्जे की उपधारणा की जायेगी। इस प्रकार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट समय से वादग्रस्त खसरान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे है। जिसमें प्रार्थी के पूर्वजों का उपरोक्त खसरान में कोई नाम् दर्ज नहीं होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नही पाया जाता है।

5. **सुविधा का संतुलन** :– प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर वादग्रस्त भूमियां वक्त सैटलमेंट से आज दिनांक तक लगातार अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के रेकर्डेड खातेदारी मे दर्ज है एवं प्रार्थी वादग्रस्त भूमियो पर प्रथम दृष्टया अपना कब्जा सिद्ध करने मे भी असफल रहा है जिस कारण प्रार्थी के हक मे सुविधा का संतुलन होना नही पाया जाता है।

6. **अपूरणीय क्षति** :– अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 वादग्रस्त भूमियों पर वक्त सैटलमेंट से बहैसियत रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त है और यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो एक खातेदार को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना होने से यह बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होना पाया जाता है।

आदेश

उपरोक्तानुसार तीनो बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी